न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 31/2017 जिला सीकर।

1. भूदा पुत्र घडसी, जाति जाट, निवासी ग्रम बाजडोली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगना पुत्र लादू , जाति जाट, निवासी ग्रम बाजडोली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
2. भंवरी जो अपने आपको लादू की पुत्री होना बताती है और वास्तव में जैती देवी तथा उसके पति हुकमाराम जाट से उत्पन्न हुई है और हुकमाराम जाट की बेटी है तथा भागीरथमल की पत्नी है तथा जाति जाट, निवासी ग्रम रूल्याणा मालियान तहसील लक्ष्मणगढ , जिला सीकर ।
3. पूरणी देवी पत्नी भगवानाराम
4. गिरधारी पुत्र स्व. भगवानाराम
5. बलवीर पुत्र स्व.भगवानाराम
6. सांवरमल पुत्र स्व. भगवानाराम
7. संदीप पुत्र अमर चन्द पुत्र भगवानाराम
   समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्रम बाजडोली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
8. ग्रम पंचायत मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर जरिये सरपंच ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 29.5.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बी.एल.वर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजाराम चौधरी

निर्णय

दिनांक – 6.6.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 29.5.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम बाजडोली, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा संख्या 30, 163, 230, 231 कुल किता 4 कुल रकबा 11.89 हैक्टेयर के 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार घडसी व खडता जाट थे जिनमें से घडसी के फौत होने पर घडसी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 110 ग्रम पंचायत मीरण द्वारा दिनांक 20.11.1970 को भूदा पुत्र घडसी व घडसी के मृतक पुत्र लादू के पुत्र जगना के नाम हिस्सा 1/2 का स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 20.11.1970 से व्यथित होकर भंवरी पुत्री लादू द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ , जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 1.9.2011 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 20.11.1970 ग्रम पंचायत मीरण तहसील लक्ष्मणगढ खारिज किया गया एवं प्रकरण पूर्ण जॉच कर उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि अनुसार निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया गया कि " पंचायत द्वारा नामांतरकरण का निर्णय करते समय इसका कोई उल्लेख नहीं किया है कि जगना लादू का दत्तक पुत्र था । यह निर्णय पंचायत द्वारा करीब 40 साल पूर्व किया गया है । यदि जगना लादू का दत्तक पुत्र होता तो संभवतः पंचायत द्वारा दत्तक पुत्र होना अवश्य अंकित करती । रेस्पों. सं. 1 की ओर से पत्रावली में अपने नाम के साथ पिता का नाम जगनाराम अंकित होने संबंधी दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ पेश की है, लेकिन इनमें पिता से पूर्व दत्तक शब्द अंकित नहीं है । जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्रों में इसे दत्तक पुत्र होना अंकित किया है । गोदनामा की प्रति पेश नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ पंचायत द्वारा बिना जॉच किये व बिना सुनवाई के पारित निर्णय बाबत नामांतरकरण कायम रहने योग्य नहीं है"।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 1.9.2011 के खिलाफ जगनाराम दत्तक पुत्र लादू द्वारा अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 17.9.2013 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 1.9.2011 से प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण पूर्व जॉच कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को रिमाण्ड किया जाना उचित एवं विधिसम्यक मानते हुये जगनाराम की अपील खारिज की है ।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 1.9.2011 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16.6.2014 पारित कर नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 20.11.1970 खारिज कर दिया गया ।

तहसीलदार लक्ष्मणगढ के उक्त आदेश दिनांक 16.6.2014 के खिलाफ घडसी के पुत्र भूदा द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 29.5.2017 द्वारा प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन होने एवं न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 15.12.2015 में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में जेरकार होने से प्रकरण में सुनवाई/ कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय तक ड्रॉप रखे जाने से इसी स्तर पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर या अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही करें ।

अति. जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 29.5.2017 के खिलाफ अपीलान्ट भूदा पुत्र घडसी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 29.5.2017 व प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 20.11.70 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रस्तुत लिखित बहस एवं अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट भूदा मृतक खातेदार घडसी का पुत्र है ओर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने पिता का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है तथा विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है । मृतक खातेदार घडसी की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 110 ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 20.11.70 को अपीलान्ट भूदा व रेस्पोंडेन्ट जगना पुत्र लादू के नाम स्वीकार किया गया था । रेस्पोंडेन्ट जगना अपीलान्ट भूदा का पुत्र है जो लादू पुत्र घडसी के गोद चला गया था । लादू पुत्र घडसी की पत्नी जयन्ती उर्फ जैती ने अपने पति लादू को छोडकर हुकमाराम जाट निवासी ग्रम रूल्याणी माल्यान से नाता कर लिया था । जयन्ती उर्फ जैती एवं हुकमाराम से एक पुत्री भंवरी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पैदा हुई । प्रकरण में यह निर्णय होना है कि भंवरी पुत्री हुकमाराम, लादू पुत्र घडसी की उत्तराधिकारी है या नहीं । पक्षकारान में अपीलान्ट भूदा पुत्र घडसी की विरासत बाबत कोई विवाद नहीं है, लेकिन मृतक खातेदार घडसी की विरासत के नामांतरकरण संख्या 110 के खिलाफ भंवरी पुत्री लादू की अपील में उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने निर्णय दिनांक 1.9.2011 से सम्पूर्ण नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 20.11.1970 को ही निरस्त कर देने से अपीलान्ट अपने संवैधानिक हक व हिस्से से वंचित हो रहा है । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 1.9.2011 के खिलाफ जगनाराम की अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 17.9.2013 से खारिज किये जाने के खिलाफ जगनाराम की निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है । उप खण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 1.9.2011 से प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पूर्ण जॉच कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिअनुसार निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन रहते हुये ही निर्णय दिनांक 16.6.2014 से सम्पूर्ण नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 20.11.1970 खारिज कर दिया , जो विधिसम्यक नहीं है । तहसीलदार के निर्णय दिनांक 16.6.2014 के खिलाफ अपीलान्ट भूदा की अपील न्यायालय

अति. जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 29.5.2017 द्वारा न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 15.12.2015 में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में जेरकार होने से प्रकरण में सुनवाई/ कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण राजस्व मण्डल के निर्णय तक ड्रॉप किये जाने के स्तर पर अपील खारिज की है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि राजस्व मण्डल या अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करें । उनका कहना था कि विवादित भूमि में जगना पुत्र लादू के हिस्से की भूमि का झगडा चल रहा है जिसमें अपीलान्ट भूदा का कोई लेना देना नहीं है तथा उसके हिस्से की भूमि का झगडा भी नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण व अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर विवादित भूमि में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे.(5) 1998 पेज 43, आर. बी.जे. (12) 2005 पेज 550, आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 936 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 भंवरी लादू पुत्र घडसी की पुत्री है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ भंवरी की अपील में उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 1.9.2011 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किये जाने पर इसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 16.6.2014 पारित कर नामांतरकरण संख्या 110 खारिज किया है । उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 1.9.2011 के खिलाफ जगनाराम की अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 17.9.2013 द्वारा खारिज करते हुये उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ तहसीलदार के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है जिससे यह अपील मेन्टेनेबल नहीं है । उनका यह भी कहना था कि प्रकरण भूदा पुत्र घडसी के हिस्से की भूमि का कोई विवाद नहीं है । अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश से प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन रहने के कारण प्रकरण में सुनवाई/ कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से राजस्व मण्डल के निर्णय तक ड्रॉप किया जाना उचित मानते हुये अपील खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार घडसी की विरासत के नामांतरकरण का है, जो ग्रम पंचायत द्वारा घडसी के पुत्र अपीलान्ट भूदा व घडसी के दूसरे मृतक पुत्र लादू के पुत्र रेस्पोंडेन्ट जगना के नाम स्वीकार किया है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 भंवरी, लादू की पुत्री होने के आधार पर लादू के हिस्से की भूमि में हिस्सा चाहती है । अपीलान्ट का कहना है कि रेस्पोंडेन्ट जगना अपीलान्ट भूदा का पुत्र है, जो लादू पुत्र घडसी के गोद चला गया था । लादू पुत्र घडसी की पत्नी जयन्ती उर्फ जैती अपने पति लादू को छोडकर हुकमाराम जाट निवासी ग्रम रूल्याणी माल्यान से नाता कर लिया था एवं जयन्ती उर्फ जैती एवं हुकमाराम से एक पुत्री भंवरी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पैदा हुई । प्रकरण में यह निर्णय होना है कि भंवरी पुत्री हुकमाराम, लादू पुत्र घडसी की उत्तराधिकारी है या नहीं । भंवरी की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ , जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 1.9.2011 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 20.11.1970 ग्रम पंचायत मीरण तहसील लक्ष्मणगढ खारिज किया है एवं प्रकरण पूर्ण जॉच कर उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि अनुसार निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया है । उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 1.9.2011 के खिलाफ जगनाराम दत्तक पुत्र लादू की अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय दिनांक 17.9.2013 द्वारा खारिज की जाकर उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की है । दूसरी तरफ उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 1.9.2011 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16.6.2014 पारित कर नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 20.11.1970 खारिज किया है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ के उक्त आदेश दिनांक 16.6.2014 के खिलाफ घडसी के पुत्र भूदा द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 29.5.2017 द्वारा प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन होने एवं न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

दिनांक 15.12.2015 में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में जेरकार होने से प्रकरण में सुनवाई/ कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय तक ड्रॉप रखे जाने से इसी स्तर पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर या अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही करें ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि मृतक खातेदार घडसी की विरासत के संबंध में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन है जिसमें ही उनके उपरोक्त विवादों का निस्तारण होना है एवं इसी के दृष्टिगत भूदा की अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 29.5.2017 द्वारा प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन होने एवं न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 15.12.2015 में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में जेरकार होने से प्रकरण में सुनवाई/ कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के कारण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय तक ड्रॉप रखे जाने से, इसी स्तर पर खारिज की जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर या अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही करें । ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 29.5.2017 को उचित एवं विधिसम्यक पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 6.6.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर